

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 28 मार्च 2016

विषय:- एटा-अलीगंज मार्ग (एम०डी०आर०-98) किमी० 25.118 की दायीं पटरी पर ग्राम राजपुर के खसरा संख्या-171 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065336 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यूपी/ 06/26/2016/एफसी/1500, दिनांक 15-3-2016, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में विषयगत प्रस्ताव 02 प्रतियों में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एटा-अलीगंज मार्ग (एम०डी०आर०-98) किमी० 25.118 की दायीं पटरी पर ग्राम राजपुर के खसरा संख्या-171 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065336 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- प्रस्ताव (02प्रति)।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।